

REPORT ON VALUE ADDED COURSE as well as LEGAL AWARENESS CAMPAIGN in Government College of Education and Schools of Chandigarh (U.T.)


The Executive Members of Legal Literacy Cell of Government College of Education, Sector 20D, Chandigarh under the supervision and guidance of Dr Meena (Nodal Officer) conducted Value Added Course as well as **Legal Awareness Campaign(w.e.f. 9th November, 2022 to 25th November, 2022)** by distributing pamphlets on the themes of Fundamental Duties; Public Utility Services; The Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizen Act, 2007; Role of Mediation and Conciliation in solving the disputes and Information about Free Legal Aid services which were provided by the State Legal Services Authority, Sector 9, Chandigarh (U.T.) in college campus as well as in some Government schools of Chandigarh (U.T.) The purpose of the Legal Awareness Campaign was to impart legal knowledge to the pupil teachers and school students about **Free Legal Aid** provided under Section 12 of Legal Service Authority Act from State Legal Service Authority, Chandigarh.

LEGAL AWARENESS CAMPAIGN:

1. Abha Jain, Roll No. 711 (Chief Executive Member)

➤ **Targeted Institution: Government College of Education, Sector 20D, Chandigarh.**


She displayed pamphlets on college Notice Board and distributed the said pamphlets to M.Ed and P.G.D.G. & C. students and conducted an awareness session. Questions were put up by the students regarding how they can avail the free legal aid. Students asked how to contact the service providers; they were directed to the pamphlets where all the information was mentioned. Students were enlightened with the information as it took them to all the incidents happened around them and made them think how they can help themselves and others.



2. Samiksha Singh, Roll No. 221 (Executive Member)

➤ **Targeted Institution: Government Model High School, Sector 20D, Chandigarh.**


Classes covered were of Ninth standard. Before distribution of pamphlets concept of Fundamental Rights was explained to the school students in simple terms. Students asked lot of questions and shared what they have read in their textbooks regarding the said themes of pamphlets.



3. Aaina Chouhan, Roll No. 289 (Executive Member)

➤ **Targeted Institution: Government Model Senior Secondary School, Sector 22B, Chandigarh.**

Classes covered were of Eighth Standard. Legal Awareness information was provided to students through discussion and using blackboard. Queries regarding Senior Citizen Act were raised by them and further information was provided to clarify their doubts.



4. Ananya Nautiyal, Roll No. 242 (Executive Member)

➤ **Targeted Institution: Government Model Senior Secondary School, Sector 19C, Chandigarh.**


Classes covered were of Sixth and Seventh Standard. Students were asked what they know about Fundamental Rights and Duties. Students were not much aware even about the fundamental rights and free legal aid. The concept was made clear to the young children through discussion.



5. Nitish Kumar Jha, Roll No. 218 (Executive Member)

- **Targeted Institution: Government Model Senior Secondary School, Sector 47D, Chandigarh.**


Classes covered were of Sixth, Seventh and Eighth standard. Children were ignorant of their rights and duties and thus were made clear about it. Students were interested to learn and asked doubts about the differences in rights and duties.



6. Rajni Maan, 270 (Executive Member)

- **Targeted Institution: Government High School, Chandigarh, Sec-30A, Chandigarh.**

Classes covered were of Ninth and Tenth Standard. Students were not much aware about the differences in fundamental rights and fundamental duties. The differences in the said terms were well explained to them by the Executive Member. Great enthusiasm was shown by the students.



REPORT COMPILATION BY:

Sr. No.	Roll No.	Name	Class/Semester	Designation
1.	711	Abha Jain	M.Ed./ Sem I	Chief Executive Member <i>Abha Jain</i>
2.	221/22	Samiksha Singh	B.Ed./Sem I	Executive Member <i>Samiksha Singh</i>
3.	289/22	Aaina Chouhan	B.Ed./Sem I	Executive Member <i>Aaina Chouhan</i>
4.	242/20	Ananya Nautiyal	B.Ed./Sem I	Executive Member <i>Ananya Nautiyal</i>
5.	218/22	Nitish Kumar Jha	B.Ed./Sem I	Executive Member <i>Nitish Kumar Jha</i>
6.	270/22	Rajni Mann	B.Ed./Sem I	Executive Member <i>Rajni Mann</i>

Meena
20/12/2022

Dr. Meena
Nodal Officer
Legal Literacy Cell
G.C.E. -20D, Chandigarh.

Principal
22/12/2022

Principal
G.C.E. 20D, Chandigarh.

C.C.

1. Dr. Suman Khokhar (For Website upload)
2. Dr Rajni Thakur (For Record maintenance)
3. Dr. Anjali Puri (NAAC Record)

Encl:-

1. Copies of Pamphlets

IDEALS AND INSTITUTIONS, THE NATIONAL FLAG AND THE NATIONAL ANTHEM (Clause (a))

The IDEALS of the Constitution are summed up in the Preamble:

JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.

The principal institutions of the Constitution are the Executive, the Legislature and the Judiciary. It is a duty of every citizen to respect these institutions. The Indian National Flag and National Anthem are the symbols of our national pride.

2. TO CHERISH AND FOLLOW THE NOBLE IDEALS WHICH INSPIRED OUR NATIONAL STRUGGLE FOR FREEDOM (Clause-B)

Our freedom fighters wanted to build a just society. They wanted to have a society free from exploitation of man by man. They wanted to have a society marked by freedom, equality, non violence, brotherhood and world peace. We must always remain conscious and committed to these ideals, and make India a better country each day.

3 TO UPHOLD AND PROTECT THE SOVEREIGNTY, UNITY AND INTEGRITY OF INDIA (Clause-C)

In India sovereignty rests with the people of India. We should not do anything which may damage the sovereignty, unity and integrity of India.

4. TO DEFEND THE COUNTRY AND RENDER NATIONAL SERVICE WHEN CALLED UPON TO DO SO (Clause-d)

We must protect our country not only against the external aggression but also from armed rebellion within the country.

5. TO PROMOTE HARMONY AND THE SPIRIT OF COMMON BROTHERHOOD AMONGST ALL THE PEOPLE OF INDIA TRANSCENDING RELIGIOUS, LINGUISTIC AND REGIONAL OR SECTIONAL DIVERSITIES; TO RENOUNCE PRACTICES DEROGATORY TO THE DIGNITY OF WOMEN (Clause-E)

India is a multi religious & multi linguistic country. Its beauty lies in its unity in diversity. Being Indians, we should work in unity to build a stronger and prosperous nation. The Constitution also casts upon us the Fundamental Duty of ensuring that all practices derogatory to the dignity of women are renounced.

6. TO VALUE AND PRESERVE THE RICH HERITAGE OF OUR COMPOSITE CULTURE (CLAUSE (F))

.....fhdkf

Even people from other countries respect our Indian culture so much and want to know about it. It is our duty to respect and protect our Indian Culture.

7. TO PROTECT AND IMPROVE THE NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING FORESTS, LAKES, RIVERS AND WILD LIFE, AND TO HAVE COMPASSION FOR LIVING CREATURES (Clause-G)

The rising air, water and noise pollution and large scale denudation of forest are causing immense harm to all human life on earth. By protecting our forest cover, planting new trees, cleaning rivers, conserving water resources, reforesting wastelands, hills and mountains and controlling pollution in cities, villages and industrial units, we can help save the future of our fellow citizens and of planet earth itself.

8. TO DEVELOP THE SCIENTIFIC TEMPER, HUMANISM AND THE SPIRIT OF INQUIRY AND REFORM (Clause-H)

The society develops only when the people shun superstitions. Lack of Scientific temper is the biggest impediment for the progress of country. In our country, where a large section of the society is still caught in various superstitions and unscientific practices, including scientific temper among the citizens is of a paramount importance for development of the nation.

9. TO SAFEGUARD PUBLIC PROPERTY AND TO ABJURE VIOLENCE (Clause-I)

It is most unfortunate that in a country which preaches non violence to the rest of the world, we see from time to time scenes of senseless violence and destruction of public property indulged in by a few of its citizens. It is our fundamental duty to abjure violence.

10. TO STRIVE TOWARDS EXCELLENCE IN ALL SPHERES OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE ACTIVITY, SO THAT THE NATION CONSTANTLY RISES TO HIGHER LEVELS OF ENDEAVOUR AND ACHIEVEMENT (Clause-J)

Excellence is the key to success. Excellence is the secret of all development.

11. TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR EDUCATION BY THE PARENT OR THE GUARDIAN, TO HIS CHILD, OR A WARD BETWEEN THE AGE OF 6-14 YEARS AS THE CASE MAY BE (Clause-K)

Education is the most important factor in the development of a country. Parents and Guardians must realize that giving education to children is of utmost importance. Education helps in the development of children. Education transforms country as a whole.



FUNDAMENTAL DUTIES

मौलिक कर्तव्य



STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

UT, CHANDIGARH, ADDITIONAL DELUX BUILDING,

SINGLE FLOOR, SECTOR 9, CHANDIGARH

PHONE NO. 0172-2742999, 2742888

Email-slsautchd@yahoo.com

Website - www.chdslsa.gov.in

Toll Free No. 1800-180-2058

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

DISTRICT COURT

SECTOR 43, CHANDIGARH

किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। यदि नागरिक, राष्ट्र के विकास के लिए प्रत्यनशील नहीं हैं तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्र को नित-नूतन शिखर पर लेकर जाने का उत्तरदायित्व उसके नागरिकों का है। हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह सावधानीपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51क में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित हैं:-

- 1 संविधान की अनुपालना एवं उसके आदेशों, उसके अन्तर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान संविधान के आदेशों का सारोक्ष, संविधान की उद्देशिका में दिया गया हो:-
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विवास, धर्म और उपासना की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की : तथा उन सब मन्धुता, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो
संविधान के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाएँ तीन हैं:- कार्यपालिका, सांसद एवं न्यायपालिका। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। हमारा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्र गान हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। राष्ट्र के उपरोक्त प्रतीकों का तिरस्कार राष्ट्रीय सम्मान की मानहानि प्रतिबंध अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है।
- 2 भारत के सवाधीनता संग्राम के प्रेरक, महान आदर्शों को नितान्त स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक न्यायोचित समाज की संरचना करना चाहते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के द्वारा भोशण ना हो। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जिसके स्तम्भ, सवाधीनता, समता, अहिंसा, भातत्व एवं भाति के आदर्श हो।
हमें उनके आदेशों के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्ध रहते हुये, भारत को हर दिन एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्यनशील रहना होगा।
- 3 भारत देश की सम्प्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखना
भारत देश की सुम्प्रभुता भारत के नागरिकों में निहित है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता व अखंडता को ठेस पहुंचें।
- 4 आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना
प्रत्येक भारतीय को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध, राष्ट्र की रक्षा के

लिए सदैव तत्पर रहना होगा। ना केवल बाहरी आक्रमण से हमें राष्ट्र को बचाना होगा बल्कि आन्तरिक राजद्रोह से भी राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है।

- 5 सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए, सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भातत्व की भावना का विकास, नारी की गरिमा के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग।
भारत एक बहु धर्मीय एवं बहु भाषीय राष्ट्र है। अनेकता में एकता, भारतीय सभ्यता का अनुपम सौंदर्य है। भारतीय होने के नाते, हम सब को मिल कर एकात्मक प्रत्यन करना, चाहिए, जिससे भारत एक सुदृढ़ एवं समद्वार राष्ट्र बने।
संविधान ने हम सबको यह जिम्मेदारी, भी सौंपी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि नारी की गरिमा के विरुद्ध सभी कुप्रथाओं का खंडन हो।
- 6 अपनी उद्घात संस्कृति व गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझना और उसे संरक्षित रखना।
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं अद्वितीय संस्कृतियों में से एक है। भारत युगों युगों से विश्व गुरु की पदवी पर आसीन रहा है।
भारत, विश्व के प्राचीनतम एवं सक्षमतम दार्शनिक विचारों एवं साहित्य का जन्मदाता है।
भारत में पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण, असंख्य ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनमें दुर्ग, महल, मंदिर, गुफा चित्र, मस्जिदें और गिरिजाधर हैं।
भारत, विश्व के अनेक महान धर्मों की जन्म स्थली है जैसे कि हिन्दु, बौद्ध, जैन व सिख धर्म।
हमारे देश का इतिहास हमें भान्ति, प्रेम, अहिंसा व सत्य का पथ प्रदर्शित करता है।
भारतीय होने के नाते हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम इस महान परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करें और आपस में प्रेम और सामंजस्य से रहे।
- 7 वन, सरोवर, नदी एवं वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा बड़े पैमाने पर जंगली की कटाई, मानव जीवन को बहुत अधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। जंगलों की सुरक्षा, वक्षोरोपण, नदियों की सफाई, जल संसधानों की सुरक्षा और पर्वत, पहाड़ी एवं बंजर भूमि में पुनः जंगल लगाना तथा गांव, भाहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रित करने से हम नागरिकों और पृथ्वी गहके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

- 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य एक ऐसी दृष्टि से है जिसका आधार व्यवस्थित ज्ञान एवं अनुभव जन्य ज्ञान है। इसमें अन्य विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है।
- 9 सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राष्ट्र ने समूचे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया वहां पर कुछ नागरिक बेसुधी से अहिंसा व सार्वजनिक सम्पत्ति के विध्वंस करते हुए नजर आते हैं। हिंसा का पूर्ण परित्याग हमारा मौलिक कर्तव्य है। अपने रोश को प्रकट करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए।
- 10 व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न ताकि राष्ट्र निरन्तर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्चतर शिखरों पर पहुंचें
उत्कृष्टता सफलता की कुजी है। उत्कृष्टता में ही विकास का रहस्य छुपा हुआ है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारा राष्ट्र निरन्तर प्रगति करें और नये शिखरों पर पहुंचें।
- 11 माता पिता या संरक्षक के लिए छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
राष्ट्र के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक एवं समूचे राष्ट्र के विकास का आधार, प्राथमिक शिक्षा है।
माता पिता एवं अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा देना सबसे जरूरी है। शिक्षा बालक के सर्वांगीय विकास में सहायता करती है। शिक्षा से ही समूचे राष्ट्र में परिवर्तन आ सकता है।

The nation is what the citizens are. If the citizens of a nation do not work for the progress of their nation then that nation cannot progress. The entire responsibility rests upon the citizen to take their nation to new heights. It is our duty to see that our country stand out among the comity of nations as the finest example of racial, ethnic, communal and religious harmony. We must render our duties towards our country diligently and faithfully. the fundamental duties in Article 51 A of the Constitution of India are under.

1. TO ABIDE BY THE CONSTITUTION AND RESPECT ITS



DO YOU KNOW?

- ★ Public Utility Services are indispensable part of an individual's life .
- ★ Complaints relating to these services are taken care of by a Special Lok Adalat for these services .
- ★ This Lok Adalat is known as Permanent Lok Adalat for Public Utility Services .
- ★ Grievances/Complaints are immediately settled/redressed by this Lok Adalat.
- ★ For availing the services of this Lok Adalat no formalities are required.

Matters taken up in Permanent Lok Adalat (Public Utility Services)

You can file your complaint regarding the following Public Utility Services on a plain piece of paper in this Lok Adalat:

- ★ Transport service for the carriage of passengers or goods by air, road and water .
- ★ Postal, telegraph or telephone services
- ★ Supply of power, light or water to the public by an establishment .. System of public Conservancy or Sanitation
- ★ Services in hospital or dispensary
- ★ Housing or Estates
- ★ Banking and Finance.
- ★ Education & Health Services

Contact

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
UT, CHANDIGARH, ADDITIONAL DELUX BUILDING,
SINGLE FLOOR, SECTOR 9, CHANDIGARH
PHONE NO. 0172-2742999, 2742977

Email-slsautchd@yahoo.com
Website - www.chdslsa.gov.in

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY
DISTRICT COURT
SECTOR 43, CHANDIGARH
Email-dlsautchd@gmail.com

LEGAL ASSISTANCE ESTABLISHMENT

Helpline No. 1516
Email ID : nyayasahyog@chd.nic.in
Mobile No. 70871-12348



क्या आप जानते हैं ?

- * जन उपयोगी सेवाएं (Public Utility Services) हर नागरिक की रोजमर्रा जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है।
- * इन सेवाओं के बारे कई तरह की समस्याएं या शिकायतें हो सकती हैं जिनके समाधान के लिए एक स्पेशल लोक अदालत कार्यरत है।
- * इस लोक अदालत को जन उपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat for Public Utility Services) के नाम से जाना जाता है।
- * इस लोक अदालत में आपकी शिकायतों या समस्याओं का तुरन्त निपटारा किया जाता है।
- * इस लोक अदालत की सेवाएं लेने के लिए किसी औपचारिकता (Formality) की जरूरत नहीं है। कोई कोर्ट फीस नहीं लगती।

- * आप अपनी शिकायत एक कोरे कागज़ पर लिख कर लोक अदालत में दे सकते हैं।

जन उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत में विचार योग्य मामले

- * सड़क, वायु एवं जल के द्वारा यात्रियों और माल ले जाने सम्बन्धित परिवहन सेवा।
- * डाक या तार या दूरभाष सेवा।
- * किसी संस्थान द्वारा जनता को शक्ति, प्रकाश या जल की आपूर्ति।
- * सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की प्रणाली।
- * औषधालय या चिकित्सालय में सेवा।
- * बीमा सेवा।
- * हाउसिंग तथा सम्पदा विभाग।
- * बैंकिंग तथा फाईनेंस सेवा।
- * शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबन्धी सेवा।

मुफ्त कानूनी सेवा आप का अधिकार है।

राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

यू० टी० चण्डीगढ़, एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, सिंगल फ्लोर,
सैक्टर 9, चण्डीगढ़। फोन नः 0172-2742999, 2742977

ई मेल : slsa_utchd@yahoo.com, Website : www.chdsla.gov.in

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सैक्टर 43, चण्डीगढ़
ई-मेल-dlsautchd@gmail.com

न्याय सहयोग

हेल्पलाइन न० 1516

ई-मेल nyayasahyog@chd.nic.in मोबाईल न० 70871-12348

Against whom the parent and grand parent can file an application for maintenance under the Act?

Parent or grandparent can file an application for maintenance against one or more of his children. Children include son, daughter, grandson and grand daughter. Children does not include a minor.

Before which authority an application for maintenance can be filed?

The application for maintenance can be filed before the Tribunal which is headed by the SDO.

Can a childless senior citizen claim maintenance under the Act?

Yes, childless senior citizen can claim maintenance under the Act from the relative who:-

Is not minor and

Is in possession of property of Senior Citizen or

Would inherit the property of senior citizen after his death.

Where the maintenance proceedings can be initiated?

Maintenance proceedings may be initiated against any child/ children or relative in any district where:-

a) The parent or senior citizen lives or

b) Last lived or

c) Where the child/childrens or relative live.

Whether the application for maintenance is to be filed by parent or senior citizen himself/herself before the maintenance tribunal?

Application for maintenance under the Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizen Act, 2007 can be filed

a) By a senior citizen or a parent an the case may be ; or

b) If the senior citizen of parent is incapable of fillinf application by himself/herself then any person or organization (Volutarily association registered under the Societies Registration Act 1860) can be authorized to file the application for maintenance ; or

(c) Tribunal may take cognizance suo moto.

(Suo Moto refers to a situation where a judge acts without request by either party to the action before the court. Court acts of its own motion)

9. Can parent or senior citizen claim maintenance under the Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act and Chapter IX of th Code of Criminal Procedure simultaneously?

Parent or Senior Citizen if entitled for maintenance under Code of Criminal Procedure and also under the Maintenance and Welfare of Senior Citizens Act can claim maintenance under either of those Acts. They cannot claim maintenance simultaneously under both the Acts.

10. Is there any upper limit for maintenance allowance?

State Government may provice for the maximum maintenance allowance which may be given per month. In any case, maintenance allowance shall not exceed ten thousand rupees per month.

11. Can Senior Citizen or parent file an appeal, if aggrieved by the order of Tribunal?

Yes, Senior Citizen or parent, if aggrieved by an order of a Tribunal may within sixty cdays from the date of order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal.

12. Where abandonment of senior citizen is an offence?

Under Section 24, if anybody who is having the care or protection of a senior citizen leaves him/her in any place, with the intention of wholly abandoning him/her, such person shall be punishable under the Act with imprisonment of either three months or fine upto Rs. 5,000 or both. The offence would be cognizable and bailable.

13. Can Senior Citizen relcaim the property transferred by him/her?

Senior Citizen can file an application before the Tribunal for declaring the transfer of property as void. The Tribunal may declare the transfer as void if the following conditions exist.

(a) Any property transferred by way of gift or otherwise by senior citizen after the commencement of this Act.

(b) The said property is transferred subject to the condition that transferee shall provide the baisc amenities and basic physical needs to the senior citizen.

(c) The transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs.



THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZEN ACT, 2007

माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों का
भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007



STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
UT, CHANDIGARH, ADDITIONAL DELUX BUILDING,
SINGLE FLOOR, SECTOR 9, CHANDIGARH
PHONE NO. 0172-2742999, 2742888

Email-slsautchd@yahoo.com

Website - www.chdsla.gov.in

Toll Free No. 1800-180-2058

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

DISTRICT COURT

SECTOR 43, CHANDIGARH

माता— पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोशण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 भारतीय गणतन्त्र के 58वें वर्ष में बना, ताकि माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों को यथोचित भरण पोशण व सुरक्षा प्राप्त रहे।

- 1 अधिनियम 2007, के तहत भरण पोशण प्राप्त करने के हकदार कौन है।
माता— पिता
दादा— दादी
वरिष्ठ नागरिक
उपरोक्त श्रेणियों में जो भी अपनी आय और सम्पति से अपना भरण पोशण नहीं कर सकते, वे अधिनियम 2007 के तहत भरण पोशण का दावा कर सकते हैं।
(माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सतौले, माता पिता भी आते हैं।)
- 2 वरिष्ठ नागरिक कौन है।
वरिष्ठ नागरिक वे व्यक्ति है—
जो भारत के नागरिक है: और
जो 60वर्ष या उससे अधिक आयु के है।
- 3 क्या 60 वर्ष से कम आयु के माता पिता भी इस अधिनियम के तहत भरण पोशण प्राप्त कर सकते हैं?
आयु का यह मानक केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। 60 वर्ष से कम आयु के माता पिता, इस अधिनियम के तहत भरण पोशण का दावा कर सकते हैं।
- 4 माता पिता व दादी दादा, इस अधिनियम के तहत, किसके खिलाफ, भरण पोशण का दावा दायर कर सकते हैं?
माता पिता व दादी दादा अपनी, एक या एक से अधिक, सन्तानों पर भरण पोशण का दावा दायर कर सकते हैं।
सन्तान में पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्र आते हैं, किन्तु अल्पव्यस्क नहीं आते।
- 5 किस अधिनियम के समक्ष, भरण पोशण का दावा दायर हो सकता है?
भरण पोशण का दावा अधिनियम के तहत गठित विवेक (Tribunal) के समक्ष डाला जाएगा, जिसका अध्यक्ष उप-खण्ड अधिकारी (SDO) होता है।
- 6 क्या निरसंतान वरिष्ठ नागरिक भी भरण पोशण का दावा कर सकते हैं?
जी हां, निरसंतान वरिष्ठ नागरिक, भरण पोशण का दावा, अपने उस सम्बन्धी से कर सकते हैं जो—
अल्पव्यस्क नाबालिग नहीं है
वरिष्ठ नागरिक की सम्पति पर काबिज है या
वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का वारिस है।
- 7 भरण पोशण के दावे की कार्यवाही कहां प्रारम्भ करें?

भरण पोशण के दावे की कार्यवाही का प्रारम्भ किसी भी संतान या संबन्धी के विरुद्ध, उस जिले में होगी जहां—

माता पिता या वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में निवास करते हैं।

या पहले निवास किया है।

या जहां पर संतान संबन्धी निवास कर रहे हैं।

- 8 क्या भरण पोशण अधिकरण के समक्ष, भरण पोशण का दावा माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को स्वयं दायर करना होगा?
अधिनियम 2007 के अनुसार, भरण पोशण का दावा निम्नलिखित के द्वारा दायर किया जा सकता है—
वरिष्ठ नागरिक या माता पिता, स्वयं: या
यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता, दावा दायर करने में असमर्थ है तो वे किसी भी व्यक्ति या संस्था 'जो सोसाईटीस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत है' को दावा दायर करने के लिए अधिकतम कर सकते हैं: या
भरण पोशण अधिकरण स्वयं संज्ञान (Sub Moto Cognizance) ले सकता है।
(Sub Moto Cognizance:- अर्थात् वह परिस्थिति जिसमें न्यायधिश, बिना किसी पक्ष की प्रार्थना के न्याय के हित में स्वयं कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं।)
- 9 क्या अधिनियम, 2007 व आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure) के अध्याय 9 के तहत एक साथ भरण पोशण का दावा कर सकते हैं?
माता पिता या वरिष्ठ नागरिक, उपरोक्त दोनों अधिनियमों में से किसी भी एक में भरण पोशण का दावा कर सकते हैं। दोनों अधिनियमों के तहत, एक साथ, भरण पोशण का दावा नहीं किया जा सकता है।
- 10 क्या भरण पोशण भते की कोई अधिकतम सीमा है?
राज्य सरकार, भरण पोशण मासिक भते की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में भरण पोशण भते, प्रतिमाह दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता।
- 11 यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता, भरण पोशण अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट है, तो अपील दायर कर सकते हैं?
जी हाँ, यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता, अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट है तो वे 60 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal) के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।
- 12 क्या वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना, एक कानूनी अपराध है?
अधिनियम, 2007 के सैक्शन 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस पर वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या सुरक्षा का उत्तरदायित्व है,

पूर्ण परित्याग के इरादे से, उन्हें किसी स्थान पर छोड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को 3 महिने का करावास या 5000 /— रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ दण्ड दिया जाएगा। अपराध संज्ञेय व जमानती है

- 13 क्या वरिष्ठ नागरिक, हस्तान्तरित सम्पत्ति को वापस ले सकते हैं?
वरिष्ठ नागरिक, अधिकरण के समक्ष सम्पति के हस्तान्तरण को अमान्य घोषित करने के लिये दावा कर सकते हैं। अधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तान्तरण को अमान्य घोषित कर सकता है—
अधिनियम, 2007 के प्रभावी होने के बाद, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने उपहार या अन्य माध्यम से सम्पति हस्तान्तरित की हो।
हस्तान्तरण इस भाँति पर किया गया हो कि प्राप्तकर्ता, वरिष्ठ नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।
प्राप्तकर्ता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार कर दे या उन्हें पूरा ना कर पायें।

The Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizens Act, 2007 has been enacted in the 58th years of republic so as to set up appropriate mechanism to provide maintenance to the parents and senior citizens, and to provide for protection of life and property of senior citizens.

1. Who is entitled to Maintenance under the Act ?

- (a) Parents;
- (b) Grand Parents; and
- (c) Senior Citizens

Who are unable to maintain themselves from their own income and property.

(Parents include biological and adoptive parents and step fathers and step mothers.)

2. Who is senior citizens ?

Senior Citizen means and person

- a) Who is a citizen of India, and
- b) Who has attained the age of 60 years of above.

3. Whether parent below 60 years of age can claim maintenance under the Act?

Age is prescribed only for senior citizen, Parent below 60 years of age claim maintenance under the Act.

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਲੀ ਬੈਗਲਰੂ ਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਇੱਕ ਉਸਰਿਆਂ/ਸਹਜਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਏਰ/ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

- ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ:** ਵਿਚਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ:** ਵਿਚੋਲਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਲਗ-ਅਲਗ ਬੈਠਕ:** ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਝੋਤਾ:** ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਚੋਲਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ

- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ/ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਬਤਾ/ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ/ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

- ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।
- ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਪੂਰਨ ਹੱਲ।
- ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ।
- ਆਸਾਨ, ਸਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁੱਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਦਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 89 (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਬਨਾਮ ਝਗੜਾ

ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ:

- ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗਿਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਤੇ ਲੱਚਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

For further detail, please contact :


DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY
UT, CHANDIGARH

LEGAL ASSISTANCE ESTABLISHMENT

Helpline No. 1516

Email ID : nyayasahyog@chd.nic.in

Mobile No. 70871-12348



Mediation
A BOON FOR THE SOCIETY

Mediation & Conciliation Centre

2nd Floor, ADR Centre, District Court,
Sector-43, Chandigarh

WHAT IS MEDIATION

Mediation is a voluntary, cooperative process in which an impartial and neutral mediator facilitates disputing parties in reaching a settlement. A mediator does not impose a solution but creates a conducive environment in which disputing parties can resolve all their disputes. Mediation is a tried and tested alternative method of dispute resolution. It has proved to be a great success in the cities of Delhi, Bengaluru & Chennai. Litigants participating in the mediation process have unequivocally endorsed it.

Mediation is:

- A structured process where a neutral person uses specialized communication and negotiation techniques.
- A process of facilitating parties in resolving their disputes.
- A settlement process whereby disputing parties arrive at a mutually acceptable agreement.

WHO CAN MEDIATE

Any person who undergoes the required 40 hours training as stipulated by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India can be a mediator. He also needs to have at least ten actual mediations before he can be accepted as a qualified mediator.

WHAT HAPPENS IN A MEDIATION SESSION

Introduction: Mediator introduces himself to the parties, explains the mediation process and establishes his neutrality. He explains the ground rules and initiates the confidential process of dispute resolution.

Joint Session: Mediator gathers information about the factual background and interests of the parties, establishes interaction between them and creates a suitable environment for an amicable settlement.

Individual (Separate) Sessions: When it becomes necessary, a Mediator allows the disputing parties to further explain their grievances, continues to gather information, persuades individual parties to share confidential information and helps them to create options for an amicable settlement.

Agreement: Mediator confirms and clarifies the terms of settlement and reduces the settlement into a clear, complete, concise and binding agreement.

HOW IS MEDIATION DIFFERENT

- Mediation is an informal process.
- There are no strict or binding rules of procedure.
- Mediation is a completely confidential process.
- Mediation enables disputing parties to interact even on a one-to-one basis.
- Mediation is a completely voluntary Process.
- Mediation enables the parties to be the key players in the dispute settlement process.
- It is an inexpensive and Speedy mode of dispute resolution.
- Mediation is interests based rather than rights based.
- Mediation enables parties to settle their own terms of agreement.

WHAT ARE THE BENEFITS OF MEDIATION

Mediation is:

- Quick and responsive
- Economical. There is no extra cost
- Harmonious settlement
- Creating solutions and remedies
- Confidential and informal
- Parties controlling the proceedings
- The plaintiff is entitled to refund of full court fees as per Section 16 of the Court Fees Act, 1870 if the dispute is settled through the process of mediation.
- Settlement of disputes by mediation is recognised by Section 89 of the Code of Civil Procedure

MEDIATION VERSUS LITIGATION

There is:

- No loss of time in mediation
- No financial investment is required in mediation.
- Mediation preserves ongoing business or personal relationships.
- Mediation allows flexibility, control and participation of the disputing parties.

Mediation is a far more satisfactory way of resolving disputes as compared to litigation. There is no appeal or revision in a mediated case and all disputes get finally settled.

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता में मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटाने का एक प्रयास है जो कि तटस्थ तृतीय पक्ष है मध्यस्थ निम्नलिखित हो सकते हैं :

- एक न्यायिक अधिकारी
- एक अधिवक्ता
- या कोई प्रशिक्षित पेशेवर

जब एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी किसी मुकदमें में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उसकी सेवाएं मुफ्त उपलब्ध होती हैं और किसी पक्ष पर खर्च का भार भी नहीं पड़ता। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवम् निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबावरहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं। सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावपूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं तथा उसे स्वेच्छा से अपनाते हैं। मध्यस्थता के द्वारा विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं और वह समझौता जो सभी पक्षों को माननीय होता है, उसे अपनाते हैं। इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द से जल्द निपटारा होता है जो कि खर्चरहित है। यह मुकदमें के झड़कों से मुक्त है। साथ ही साथ न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम होता है।

मध्यस्थता में क्या होता है?

मध्यस्थ अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिये पूर्णतः प्रशिक्षित होता है और सभी पक्षों को उनके विवाद का हल निकालने में मदद करता है।

मध्यस्थता बांचागत प्रक्रिया है। इसकी कार्य प्रणाली निम्न है—

प्रारंभ: मध्यस्थ अधिकारी, मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत करवाता है। उन्हीं प्रक्रिया के नियमों एवम् गोपनीयता के बारे में भी बताया जाता है। संयुक्त सत्र: मध्यस्थ अधिकारी, पक्षों से उनके विवाद के प्रति जानकारी प्राप्त करता है तथा

विवाद के निपटारे के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

पृथक सत्र: संयुक्त सत्र के अलावा यदि जरूरत हो तो मध्यस्थ अधिकारी हर पक्ष से अलग-अलग बात करते हैं। इस सत्र में सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। जिसे गोपनीय रखा जाता है। इस सत्र में मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुंचता है।

समझौता: विवाद के निवारण के उपरान्त मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से समझौते की पुष्टि करवाता है तथा उसकी शर्तें स्पष्ट करवाता है। इस समझौते को लिखित रूप में अंकित किया जाता है जिस पर सभी पक्ष हस्ताक्षर करते हैं।

मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका और कार्य

- मध्यस्थ अधिकारी विवादित पक्षों के बीच समझौते की आधारभूमि तैयार करता है।
- पक्षों के बीच आपसी बातचीत और विचारों का माध्यम बनता है।
- समझौते के दौरान आने वाली बाधाओं का पता लगाता है।
- बातचीत से उत्पन्न विभिन्न समीकरणों को पक्षों के समक्ष रखता है।
- सभी पक्षों के हितों की पहचान करवाता है।
- समझौते की शर्तें स्पष्ट करवाता है। तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी पक्ष स्वेच्छा से समझौते को अपना सकें।

मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ

- विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान
- समय तथा खर्च की किफायत
- न्यायालयों में चक्कर लगाने से राहत
- अत्यधिक सरल व सुविधाजनक
- विवाद का इमेशा के लिये प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान
- समाधान में पक्षों की सहमति को महत्व
- अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया
- सामाजिक सद्भाव कायम करने में सहायक
- मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर, वादी (Court Fees Act 1870) कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा कोर्ट फीस वापिस लेने का हकदार होता है।
- झगड़े का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने को सेक्शन 89(सी पी सी) की मान्यता है

विवाद से हानियां

- समय की हानि
- मानसिक तथा शारीरिक शांति भंग
- धन की हानि
- तनाव की स्थिति
- झूठे अहम का बढ़ावा
- असंतोष

विवादों को निपटाने के लिये मध्यस्थता मुकदमेबाजी की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक तरीका है मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे गये मामलों में अपील और पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होती है और सभी विवाद पूरी तरह निपट जाते हैं।

मध्यस्थ को मुकदमा कैसे सौंपा जाता है?

मध्यस्थता को केवल न्यायालय में लंबित मामलों में ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर सम्बन्धित न्यायालय यह निर्णय लेता है कि किसी विशेष विवाद में किस मध्यस्थ को नामित किया जाए। सम्बन्धित न्यायालय स्वयं भी किसी भी वाद को मध्यस्थता केन्द्र में भेज सकता है।